

न्यायालय लैण्ड रेकॉर्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सिरौही
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री हरि सिंह देवल (आर.ए.एस.)

रा.प्रा.प.संख्या 88 / 2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1 समरथमल पुत्र श्री रिखबचंद जाति महाजन (जैन) नि. जावाल तहसील व जिला सिरौही		1 राजस्थान राज्य, जरिये तहसीलदार तहसील व जिला सिरौही

उपस्थित :-

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता राजेन्द्र पुरी व राजेश मेघवाल
2. अप्रार्थी स्टेट की ओर से श्री पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार) सिरौही

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129 भू-राजस्व अधिनियम

आदेश

दिनांक 03.02.2025

प्रार्थी ने जरिए अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 19.05.2023 को प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी के कब्जा काश्त की आराजी मौजा जावाल पटवार हल्का जावाल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जावाल तहसील सिरौही, जिला सिरौही में आयी हुई है, जिसकी विगत निम्न प्रकार है

क्र.स.	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
1	1959 / 662	2.2700 है0	बारानी-2
कुल किता 1 कुल रकबा 2.2700 है0			

उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी है जिस पर प्रार्थीगण शांतिपूर्वक काश्त कर उसका उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण ने काफी रकम खर्च करके उक्त भूमि को उपजाऊ योग्य बनायी है। प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि आराजी खसरा संख्या 1959/662 के लगते अन्य खातेदारी कृषि आराजी आई हुई हैं जिसके बीच में लोर कायम हैं जिसका राजस्व नक्शे में डिमार्केशन किया हुआ है। खसरा नम्बर 1959/662 के लगते अन्य खातेदारी कृषि आराजी आई हुई है एवं दोनों के बीच लोर कायम हैं एवं राजस्व नक्शे में लोर दर्शाया हुआ है। लेकिन खसरा नम्बर 1959/662 के अन्य पडौसी खातेदारो द्वारा प्रार्थीगण की गैर हाजरी का फायदा उठाकर बीच में बनी लोर व मेडबंदी को तोड़ देते है एवं आये दिन कृषि भूमि की बाड को लेकर झगड़ा फंसाद करते रहते है। इस कारण प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि आराजी खसरा नम्बर 1959/662 का राजस्व अधिकारियों के जरिये उक्त भूमि का सीमांकन करके पत्थर गढी करवाया जाना प्रार्थीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि मेडबंदी मौके पर कायम कर उसका सीमांकन किया जावे ताकि मौके पर कोई विवाद नहीं हो। प्रार्थीगण को प्रार्थना

(2)

रा0प्रा0पत्र सं. 88/2023
समरथमल बनाम स्टेट

पत्र पेश करने कारण इसलिए पैदा हुआ कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि आराजी खसरा संख्या 1959/662 पर मौके पर लोर कायम हैं लेकिन मौके पर राजस्व अधिकारियों द्वारा सीमांकन नहीं किये जाने से बार-बार सीमांकन बाबत विवाद हो रहा है एवं पडौसी लोग झगड़ा फंसाद करते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 1959/662 में राजस्व नक्शे अनुसार मौके पर सीमांकन कर पत्थर गढ़ी कराई जाकर मौके पर नेकमबंदी कायम कर कृषि आराजी की स्थिति कोई स्पष्ट किया जाना आवश्यक है ताकि मौके पर उक्त कृषि भूमि बाबत विवाद नहीं हो। इस कारण प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होने से प्रार्थीगण को अपनी कृषि आराजी खसरा संख्या 1959/662 का सीमांकन करवाया जाकर मौके पर पत्थर गढ़ी किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः निवेदन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि आराजी खसरा संख्या 1959/662 मौजा जावाल पटवार हल्का जावाल रकबा 2.2700 हैक्टेयर कृषि आराजी का अप्रार्थी राजस्व अधिकारियों के जरिये उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन कर मौके पर नेकमबिन्दु कायम करते हुए नेकमबंदी किये जाने का आदेश पारित करना फरमावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ मौजा जावाल के जमाबंदी संवत् 2072-2075 खाता संख्या 778 की प्रति का अवलोकन व मनन के पश्चात प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टया सहमत होने से दिनांक 05-06-2023 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाब हेतु नोटिस जारी किए गये। उक्त नोटिस अप्रार्थी को तामील होने के पश्चात अप्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार सिरोही ने जरिए क्रमांक/रीडर/विधि/2024-25/2191 दिनांक 09-01-2024 के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जिसे पत्रावली में दिनांक 20-03-2024 को शामिल पत्रावली की गई। प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई।

अप्रार्थी स्टेट ने अपने जवाब में कथन किया है कि ग्राम जावाल तहसील सिरोही के ग्राम जावाल के चालू जमाबंदी खाता संख्या 778 के अनुसार खसरा संख्या 1959/662 रकबा 2.2700 हैक्टेयर किस्म बरानी 2 समरथमल पुत्र रिखब चंद जाति महाजन सा. पांडीव की खातेदारी कृषि भूमि है। खसरा संख्या 1959/662 व इससे लगते हुए अन्य खसरा नम्बरों की सीमा राजस्व नक्शे में अंकित है। प्रार्थी के खसरा संख्या 1959/662 व पडौसी खातेदारों के बीच लोर के विवाद के चलते, प्रार्थी उक्त खसरा नम्बर की पत्थर गढ़ी करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का सीमाज्ञान नहीं करवाया गया है। प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 1959/662 का सीमाज्ञान नियमानुसार नहीं करवाया गया है। अतः सीमाज्ञान के अभाव में पत्थर गढ़ी किया जाना उचित नहीं है।

विचारण प्रकरण में वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर इस न्यायालय में दिनांक 24.01.2025 को वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस करने से मेरे द्वारा अंतिम बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर 2021(2)DNJ (Rev) 884 Banwarilal V/S Bhagoti Devi को शामिल मिसल किया गया।



(Handwritten signature)

(3)

रा0प्रा0पत्र सं. 88 / 2023
समरथमल बनाम स्टेट

हमने विचारण प्रकरण में पत्रावली के साथ संलग्न प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा जावाल के जमाबंदी संवत् 2072-2075 खाता संख्या 778 खसरा संख्या 1959/662 मौजा जावाल पटवार हल्का जावाल रकबा 2.2700 हैक्टेयर, तहसीलदार सिरौही से प्राप्त जवाब का अवलोकन तथा वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट पैरोकार सरकार की बहस पर भी गंभीरता से मनन किया।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के खसरा संख्या 1959/662 व पडोसी खातेदारों के बीच लोर के विवाद के चलते, प्रार्थी उक्त खसरा नम्बर की पत्थर गढी करवाना चाहता है जबकि प्रार्थी द्वारा पडोसी खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है ना ही प्रार्थी के खसरा संख्या 1959/662 सीमाज्ञान करवाया गया है। सीमाज्ञान के अभाव में पत्थरगढी किया जाना उचित नहीं है।

अतः सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129 एल.आर. एक्ट के तहत विरुद्ध अप्रार्थी का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार(खारीज) किया जाता है। निर्णय सरे ईलजास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो।



उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 03-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की मोल मुहर से जारी किया गया।

(हरि सिंह देवल)

लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरौही (राज०)

लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरौही (राज०)